राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,

मुख्यालय, परिवहन मार्ग, जयपुर–303001 दूरभाष 0141–2374644

क्रमांकः–एफ–4/मु./याता/लेखा (121)/2022/1486 दिनांकः–28/02/22

जोनल मैनेजर /मुख्य प्रबन्धक,
राजस्थान परिवहन निगम,
.... आगार।

विषयः–राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 13 मार्च 2022 को आयोजित होने वाली **Jr. J.A. for RHC, J.A. for RSLSA and DLSAs and Cleark Gr.-II for RSJA and District Courts, 2020** में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को राजस्थान राज्य सीमा में निःशुल्क यात्रा सुविधा के सम्बन्ध में ।

सदर्भः–माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2021–22 बिन्दु संख्या 59 के अनुसार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को प्रदेश में परीक्षा के लिए राजस्थान परिवहन निगम में निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने के क्रम में जारी इस कार्यालय का आदेश क्रमांक एफ–4/मु./याता/लेखा–58/2021/1147 दिनांक 16.4.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान की बजट घोषणा 2021–2022 के बिन्दु संख्या 59.0 की पालना में शासन सचिव परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक प.17(5) परि/2021/जयपुर दिनांक 15.4.2021 के बिन्दु संख्या 1 एवं 8 द्वारा केन्द्र एवं राज्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण/द्रुतगामी बसों में राज्य की सीमा के अन्दर निःशुल्क यात्रा सुविधा की प्राप्त सहमति के क्रम में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 13 मार्च 2022 को आयोजित होने वाली **Jr. J.A. for RHC, J.A. for RSLSA and DLSAs and Cleark Gr.-II for RSJA and District Courts, 2020** के परीक्षार्थियों को राजस्थान राज्य सीमा में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जानी है। इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की अधिक संख्या को देखते हुए इस सम्बन्ध में आपको निम्न निर्देश दिये जाते हैः–

1. राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 13 मार्च 2022 को आयोजित होने वाली **Jr. J.A. for RHC, J.A. for RSLSA and DLSAs and Cleark Gr.-II for RSJA and District Courts, 2020** का आयोजन जयपुर महा नगर में किया जाना है, जिसमें 117651 परिक्षार्थी पंजीकृत है।
2. इस परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा निवास स्थान से केन्द्र वाले शहर तक आने एवं परीक्षा पश्चात् केन्द्र वाले शहर से निवास स्थान तक जाने हेतु निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षा दिवस के एक दिन पूर्व एवं परीक्षा समाप्ति के एक दिन पश्चात् तक देय होगी ।
3. बस यात्रा का उद्देश्य परीक्षा के लिए जाने एवं आने के लिए ही होगा।
4. परीक्षार्थी को यह सुविधा एक बार निवास स्थान से परीक्षा केन्द्र पर जाने के लिए एवं एक बार परीक्षा केन्द्र से निवास स्थान तक आने के लिए ही देय होगी।
5. यह छूट केवल परीक्षार्थियों के लिए ही होगी, उनके परिवार के सदस्यों को नियमानुसार टिकिट लेकर यात्रा करनी होगी।
6. यह सुविधा प्राप्त करने के लिए परीक्षार्थियो को प्रवेश पत्र बस परिचालक/टिकिट काउन्टर पर बुकिंग क्लर्क को दिखाना अनिवार्य होगा ताकि शून्य राशि का टिकिट बनाया जा सकें।
7. यात्रा के समय परीक्षार्थी को फोटो युक्त आईडी साथ में रखना अनिवार्य होगा।
8. यदि परीक्षार्थी के गांव/शहर से परीक्षा केन्द्र तक जाने एवं वापस आने के लिए सीधी बस सेवा उपलब्ध नहीं है तो यह एक से अधिक कनेक्टिंग बस का उपयोग कर सकते हैं परन्तु यात्रा का उद्देश्य इस परीक्षा के लिए जाना एवं वहां से वापस आना ही होना आवश्यक है।

नोटः–कोविड–19 से बचाव के लिये सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करावे

(M) 28/2

(लोकेश कुमार सहल)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)